

24/9/24

पत्रावली पेश हुयी उभयपक्ष
पीठासीन अधिकारी अन्य कार्य से व्यस्त
अवकाश में हैं। पत्रावली साविक आदेश
दिनांक...22/10/24...को पेश हो।

आदेश से रीडर

22-10-24

पत्रावली पेश हुई। प्राची अधिकार का उपरो
पुस्तक में विपक्षीय के जवाब का तल गली इष्ट
है तलसीलदार भीलवाड़ा से माँगा रिपोर्ट
प्राप्त नहीं हुई है तलसीलदार भीलवाड़ा
को पुनः स्मरण करा जाये उर प्रामाणी विपक्षीय
के जवाब। अन्य विपक्षी की तलसी माँगा रिपोर्ट
पुनः उर रिमाउ 29-01-25 को पेश हो।

29-1-25

पत्रावली पेश हुयी उभयपक्ष
पीठासीन अधिकारी अन्य कार्य से व्यस्त
अवकाश में हैं। पत्रावली साविक आदेश
दिनांक...04-03-25...को पेश हो।

आदेश से रीडर

04-03-25

पत्रावली पेश हुई। प्राची अधिकार का
अपक्षीय तलसीलदार भीलवाड़ा से पत्रावली
एफु-71। रीडर। 2024/709 दिनांक 27-12-24
से रिपोर्ट प्राप्त हुई। जिसे शामिल पत्रावली
दिमा। तलसीलदार भीलवाड़ा में अपनी रिपोर्ट
में अंकित दिमा कि ग्राम हरनी उला के अ.म.
373, 374, 379, 380, 394, 395, 1839/डा. कुल
डिमा 2 रबुल। 7199 भूमि प्राची द्वारा विरुद्ध
रुद ही जमीन है।
प्राची ने प्राथमिक पत्र में अपनी आरामिमान
में आने-जाने हेतु रास्ते की माँग की थी।
परन्तु प्राची द्वारा अपनी आरामिमान को विरुद्ध
रुद देने से प्राची के प्राथमिक पत्र का बोर्ड
ओपिलय नहीं रह जा रहा है। अतः प्राची द्वारा
भूमि विरुद्ध रुद देने से प्राची का प्राथमिक पत्र
तलसीलदार की रिपोर्ट से आधार पर रोकित
दिमा जाता है। पुस्तक उचित प्रकार ही उर रूम्बर
से रुम हो।

अधिकारी
भीलवाड़ा